हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 18 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1–36/2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 16) जो दिनांक 18 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2010 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

''(गग) ''निर्यात'' से गाय का हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर ले जाना अभिप्रेत है।''।

नई धारा 4 क, 4 ख तथा 4 ग का अन्तःस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:––

''4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.–– कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अपने अभिकर्ता अथवा सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से गाय को, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या यह जानकारी रखते हुए कि इसका वध किया जा सकेगा या इसकी सम्भावना है, वध के प्रयोजन के लिए, निर्यात नहीं करेगा या नहीं करवाएगा ।

4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.–– (1) कोई व्यक्ति, जो गायों का निर्यात करने का इच्छुक हो, गायों की संख्या और उस राज्य का नाम, जिसको उसका निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, सहित उन कारणों, जिनके लिए उनका

निर्यात किया जाना है, का कथन करते हुए अनुज्ञापत्र हेतु ऐसे अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसे सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे । वह यह घोषणा भी दाखिल करेगा कि उन गायों का वध नहीं किया जाएगा, जिनके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, आवेदक के अनुरोध की यथार्थता के बारे में अपना समाधान होने के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन में विनिर्दिष्ट गायों के निर्यात हेतु उसे अनुज्ञापत्र प्रदान और जारी करेगा।

4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.—— सरकार को, उन दशाओं में, जहां इसकी राय में ऐसा करना लोकहित में है, गायों के निर्यात हेतु विशेष अनुज्ञापत्र जारी करने की शक्ति होगी ।''।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''धारा 3 या 5'' और ''पांच हजार'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''धारा 3, 4 क, 4 ख, या 5'' और ''पच्चीस हजार'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

नई धारा 9 क तथा 9 ख का अन्तःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :——

''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.—— कोई पुलिस अधिकारी, जो मुख्य आरक्षी की पंक्ति से नीचे का न हो या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, स्वयं को आश्वस्त करने और अपना यह समाधान करने के दृष्टिगत कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया गया है,—

(क) गायों के निर्यात हेतु उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाने के लिए आशयित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या किसी व्यक्ति को, उसमें प्रवेश करने, उसे रोकने और उसकी तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) यदि उसे यह संदेह होता है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या

किया जाने वाला है, तो वह गायों और उस यान, जिसमें ऐसी गाय पाई जाती है, का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहण हेतु प्राधिकृत कर सकेगा, और तत्पश्चात् अभिगृहित गायों और यानों को, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु, न्यायालय में पेश करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय कर सकेगा या करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा; और

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण हेतु लागू होंगे । 1974 का 2

9 ख. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—— इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होंगी।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—— धारा 10 का संशोधन ।

''(घघ) प्ररूप, जिसमें धारा 4 ख के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना है और ऐसे अनुज्ञापत्र की बाबत प्रभारित की जाने वाली फीस ।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 हिमाचल प्रदेश में गाय व इसकी संतति का वध निषेध करता है ।

वर्तमानतः पशुओं (गायों) के हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों को वध हेतु परिवहन की जांच पड़ताल के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। बदलती परिस्थितियों के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश राज्य से वध करने की दृष्टि से किए जा रहे पशुओं (गायों) के परिवहन को प्रतिषिद्ध करने हेतु उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम में गायों के निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने तथा ऐसी गायों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जा रहे यानों की तलाशी लेने या उनके अधिग्रहण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए ऐसे यानों की तलाशी और अभिग्रहण के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबन्धित शास्ति भी नाममात्र की है। अतः उपबन्धों को और कठोर बनाने के लिए शास्ति में वृद्धि करना भी आवश्यक समझा गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में समुचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2010

वित्तीय ज्ञापन

– शून्य –

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने तथा ऐसे अनुज्ञापत्रों पर प्रभारित की जाने वाली फीस की बाबत नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

Bill No. 16 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF COW SLAUGHTER (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL

further to amend the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979. (Act No. 11 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called The Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter (Amendment) Act, 2010.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979 (herein after referred to as the principal Act), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(cc) "export" means taking of cow outside the territorial jurisdiction of Himachal Pradesh;".

Insertion of new sections 4A, 4B and 4C.

3. After section 4 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:—

"4 A. Restriction on export of cow.— No person shall export or cause to be exported, cow for the purpose of slaughter either directly or through his agent or servant or any other person acting on his behalf in contravention of the provisions of this Act or with knowledge that it may be or likely to be slaughtered.

4 B. Permit for export.—(1) Any person desiring to export cows shall apply for a permit to such officer, as the Government may, by notification, appoint in this behalf, stating the reasons for which they are to be exported together with the number

of cows and the name of the State to which they are proposed to be exported. He shall also file a declaration that the cows for which export permit is required shall not be slaughtered.

(2) The officer appointed under sub-section (1), after satisfying himself about the genuineness of the request of the applicant, shall grant and issue him a permit for export of cows specified in the application on payment of such fee and in such form as may be prescribed.

4 C. Special permits.— The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it is in the public interest to do so.".

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures "section 3 or 5" and " five thousand", the words, figures and signs "sections 3, 4A, 4B or 5" and " twenty five thousand" shall respectively be substituted.

Insertion of new sections 9 A and 9 B.

5. After section 9 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:—

"9 A. Power to enter and seizure etc.— Any Police Officer not below the rank of Head Constable or any person authorized in this behalf by the Government may, with a view to assure and for satisfying himself that the provisions of this Act have been complied with,—

(*a*) enter, stop and search or authorize any person to enter stop and search any vehicle used or intended to be used for the export of cows;

(*b*) seize or authorize seizure of cows and vehicle in which such cows are found if he suspects that any of the provision of this Act has been, is being or about to be contravened, and thereafter, take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of cows and vehicles seized, in the court for their safe custody; and

(*c*) the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedures, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

9 B. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the Government for any thing which is in good faith done or intended be done under this Act or the rules made thereunder.".

6. In section 10 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:— Amendment of section 10.

"(dd) the form in which the permit under section 4 B is to be granted and fee to be charged in respect of such permit;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh prohibition of Cow Slaughter Act, 1979 prohibit the slaughter of cow and its progeny in the State of Himachal Pradesh.

At present there is no provision to check transportation of cattle from the State of Himachal Pradesh to other States for slaughtering. In the changed circumstances, it is felt necessary to make provisions for prohibition of transportation of cattle for slaughter from the State of Himachal Pradesh. Further, there is no provision in the Act ibid to issue permit for export of cows and for search and seizure of the vehicles used or being used for transportation of such cows. Thus, it has also been considered necessary to make provision for search and seizure of such vehicles. Further, the penalty provided under section 8 of the said Act is also quite nominal. Therefore, in order to make the provisions more stringent, it is also considered essential to enhance the penalty. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:

The…… 2010

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill empowers the State Government to make rules in respect of issue of export permit and fee to be charged for such permits. The proposed delegation of power is essential and normal in character.